

अध्याय - 2
राज्य उत्पाद शुल्क

the \mathbb{R}^n is a linear space over \mathbb{R} with the usual addition and scalar multiplication. The inner product is defined by

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (1)$$

and the norm is defined by $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$. The norm is induced by the inner product. The norm is called the Euclidean norm.

The inner product and the norm are both linear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

The inner product and the norm are both bilinear. The inner product is symmetric and the norm is positive definite.

अध्याय 2 राज्य उत्पाद शुल्क

2.1 परिचय

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र. आबकारी अधिनियम) और इसके अध्यक्षीन निर्मित नियमों के अंतर्गत राज्य उत्पाद शुल्क में मदिरा, भांग तथा डोडाचूरा के उत्पादन, उपार्जन एवं विक्रय से प्राप्त राजस्व शामिल रहते हैं। म.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत "मदिरा" का अर्थ नशीला द्रव्य है जिसमें स्परिट, वाइन, ताड़ी¹⁷, बीयर, सभी द्रव्य जिनमें अल्कोहल है या ऐसा कोई भी अन्य पदार्थ जिसे राज्य शासन ने अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित किया है, शामिल है।

2.2 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर राज्य आबकारी विभाग के प्रशासकीय प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त (आब.आयु.) विभाग प्रमुख हैं एवं जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय, ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, तीन उपायुक्त आबकारी (उप.आब.), संभागों में सात उप.आब., सभागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आबकारी आयुक्त (सहा.आब.आयु.) तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी (जिला आब.अधि.) हैं। जिला कलेक्टर जिले में आबकारी प्रशासन का नेतृत्व करता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए अधिकृत होता है और आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी जिम्मेदार होता है।

2.3 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी शुल्क कर प्राप्तियों के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है और मध्य प्रदेश की कुल कर प्राप्तियों का 18.40 प्रतिशत है। विगत पाँच वर्षों की राज्य आबकारी शुल्क से प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.1 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 2.1
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान से वास्तविक प्राप्तियों की भिन्नता (प्रतिशत में)
2013-14	5,750.00	5,907.39	(+) 2.74
2014-15	6,730.00	6,695.54	(-) 0.51
2015-16	7,800.00	7,922.84	(+) 1.57
2016-17	7,700.00	7,532.59	(-) 2.17
2017-18	8,600.00	8,245.01	(-) 4.12
योग	36,580.00	36,303.37	

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट प्राक्कलन)

उपरोक्त तालिका से संकेत मिलता है कि वर्ष 2017-18 के लिए विभाग द्वारा तैयार बजट अनुमानों को प्राप्त नहीं किया गया था जो 4.12 प्रतिशत कम रहा। विभाग ने उक्त कमी का कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी के किनारे शराब की दुकानों को बंद करना बताया।

¹⁷ ताड़ी का अर्थ है किसी भी प्रकार के ताड़ के पेड़ से निकाला गया किण्वित या अकिण्वित रस।

2.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

संयुक्त संचालक (वित्त) के नेतृत्व में छह सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारियों (स.आ.ले.प.अ.) की सहायता से एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (आं.ले.प्र.), विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। स.आ.ले.प.अ. के पद मध्य प्रदेश कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। आं.ले.प्र. प्रत्येक वर्ष अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा के लिए रोस्टर तैयार करता है। विभाग द्वारा यह सूचित किया गया था कि 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए कुल 43 कार्यालयों की योजना बनाई गई थी, जिसमें से केवल 25 कार्यालयों की लेखापरीक्षा आं.ले.प्र. द्वारा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 42 प्रतिशत की कमी हुई।

लेखापरीक्षा में 15 जिला कार्यालयों¹⁸ के आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2017-18) की समीक्षा (नवंबर 2018) की और पाया कि अधिकतर इकाईयों में आं.ले.प्र., कोषालय अभिलेखों के साथ चालान के मिलान के मुद्दे, मासिक मिलान पत्रक को कोषालय अधिकारी और आब.आयु. को भेजने में विलंब और निर्धारित प्रारूप में तौजी को न भरना, को उजागर करने में विफल रहा।

2.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 61 लेखापरीक्षा इकाईयों (एक आब. आयु. कार्यालय एवं 60 आबकारी इकाईयों) में से 41¹⁹ की लेखापरीक्षा की गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा सृजित राजस्व ₹ 7,532.59 करोड़ था, जिसमें लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 5,039.20 करोड़ (67 प्रतिशत) संग्रहित किए।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 7,448 प्रकरणों में आबकारी शुल्क की हानि और अन्य आपत्तियाँ, जिनमें में 342.87 करोड़ की राशि सन्निहित थी, अवलोकित की गयी, जो कि लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा एकत्र राजस्व का सात प्रतिशत है। विवरण तालिका 2.2 में उल्लिखित हैं।

तालिका 2.2
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनुज्ञा अनुबंध के उल्लंघन के लिये शास्ति का अनारोपण	3,685	92.39
2.	लायसेंसियों द्वारा कूट रचित चालान प्रस्तुत करने के कारण राजस्व हानि	1,426	45.26
3.	आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर निविदा को जारी करना	2	43.10
4.	आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन न भेजने वाले लाइसेंसियों पर शास्ति का अनारोपण	166	41.03
5.	मदिरा की दुकानों पर लायसेंस फीस का अनारोपण	53	10.49
6.	बकाया आबकारी राजस्व की वसूली न होना	5	5.49
7.	ठेकेदारों को अनुचित लाभ	2	2.49
8.	काँच की बोतल का न्यूनतम स्कंध न रखने पर शास्ति का अनारोपण	90	1.83
9.	देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	66	1.27
10.	अन्य आपत्तियाँ (बॉटलिंग फीस का कम आरोपण, बैंक गारण्टी कम/न दिया जाना, न्यूनतम स्कंध का न रखा जाना, अधिक अपव्यय इत्यादि)	1,953	99.52
योग		7,448	342.87

¹⁸ सहा.आब.आयु. अलीराजपुर, छतरपुर, धार, ग्वालियर, जबलपुर एवं खरगौन।

जि.आब.आयु. अशोकनगर, देवास, गुना, मंदसौर, नीमच, नरसिंहपुर, शाजापुर, टिकमगढ़, एवं विदिशा।

¹⁹ एक उपा.आब., 14 सहा.आब.आयु. और 26 जि.आब.आयु. के कार्यालय।

इन आपत्तियों से शासन और विभाग को मई 2017 से फरवरी 2018 के मध्य अवगत कराया गया था। विभाग ने इनमें ₹ 222.14 करोड़ के 3,295 प्रकरणों से संबंधित आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ₹ 66.76 करोड़ के 2,565 प्रकरणों की समीक्षा करने का आश्वासन दिया। यद्यपि, विभाग ने 160 प्रकरणों में ₹ 10.71 लाख की वसूली सूचित (सितम्बर 2019) की।

2.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लेखापरीक्षा ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 54 कण्डिकाओं में ₹ 2145.31 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था, जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 7.42 करोड़ की वसूली की गयी। इन 54 कंडिकाओं में से, 15 कंडिकायें लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए चुनी गयी थी एवं एक कंडिका पर मात्र चर्चा की गयी (अगस्त 2019)। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई।

एक प्रकरण जिसमें ₹ 36.22 करोड़ के शासकीय राजस्व की हानि समाहित थी, का उल्लेख निम्नलिखित कण्डिका में किया गया है:

2.7 अनिवार्य जाँच जैसे कोषालय अभिलेखों के साथ चालान का सत्यापन/ पुर्नमिलान का पालन न करने से शासन को राजस्व की हानि

सहा.आब.आयु. इंदौर के 15 लाइसेंसधारियों ने, विभाग को प्रस्तुत 1,061 चालान के साथ छेड़छाड़ करके देय उत्पाद शुल्क एवं लायसेंस फीस ₹ 37.42 करोड़ के स्थान पर कोषालय में ₹ 1.20 करोड़ जमा किए तथा जिनका कोषालय के अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया गया। विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण से ₹ 36.22 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार, संबंधित विभाग के नियंत्रण अधिकारी को यह देखना अनिवार्य है कि शासन के बकाये का सही निर्धारण, संग्रह और नियमित रूप से कोषालय में भुगतान किया गया है। इसके लिए, नियंत्रण प्राधिकारी को एक पृथक विभागीय खाता संधारित करना है और महीने के अंत में, पंजी से महीने के कुल प्राप्तियों को उनके राजस्व शीर्षों के अनुसार एक तौजी या विभागीय विवरणी तैयार करना चाहिए। इसे कोषालय अधिकारी द्वारा कोषालय पंजियों के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को प्रत्येक विवरणी के पाद में उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि विभागीय विवरणी की तुलना में कोषालय पंजियों में यदि कोई त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जमा पाया जाता है, तो कोषालय अधिकारियों को विभागीय विवरणी के गलत वर्गीकरण और/या त्रुटिपूर्ण जमा होने पर तुरंत नियंत्रण प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। नियंत्रण प्राधिकारी विभागीय और कोषालय खातों के बीच विसंगतियों का समाधान करेगा।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के निर्देशों²⁰ के अनुसार, कोषालय अधिकारी को कोषालय के अंतर्गत आने वाले सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ.सं.अ.) को संबंधित राजस्व शीर्ष में माह के दौरान जमा किए गए सभी चालानों की एक सूची प्रदान करना आवश्यक है। संबंधित आ.सं.अ. कोषालय/बैंक के साथ जमा किए गए सभी चालानों को अनिवार्य रूप से सत्यापित करेगा और यदि कोई अंतर हो, तो कोषालय के साथ हल करेगा। कोषालय अधिकारी सत्यापन प्रमाण पत्र के अभाव में कार्यालय प्रमुख के वेतन बिल को पारित नहीं करेगा।

²⁰ वित्त विभाग मध्य प्रदेश का पत्र क्र. 1889/1843/2001/सी/4, दिनांक 05 अक्टूबर 2001।

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 तक अवधि के लिए सहा.आब.आयु., इंदौर के कार्यालय के अभिलेखों (चालानों की प्रतिलिपि, कोषालय अभिलेख मिलान हेतु जिला कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमाणित चालान की सूची, विभागीय जाँच प्रतिवेदन) की समीक्षा (जनवरी 2018 और दिसंबर 2018 के बीच) की गयी एवं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रेषण किये गये 87,000 चालानों में से 47,792 चालानों (55 प्रतिशत) का नमूना परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि, 15 लाइसेंसधारियों²¹ ने ₹ 25.13 करोड़ के देय आबकारी शुल्क और ₹12.29 करोड़ के लाइसेंस फीस के रूप में देशी शराब (सीएल) और भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के लिए लाइसेंस फीस के विरुद्ध केवल ₹ 0.98 करोड़ आबकारी शुल्क और ₹ 0.22 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस कोषालय में जमा की, परिणामस्वरूप शासन को आबकारी शुल्क ₹ 24.15 करोड़ और लाइसेंस फीस ₹ 12.07 करोड़ के रूप में राजस्व की हानि हुई। शासन को सीएल और आईएमएफएल के लिए आबकारी शुल्क और लाइसेंस फीस की कुल हानि ₹ 36.22 करोड़ रही **(परिशिष्ट I)**। यह विभाग को प्रस्तुत 1,061 चालानों के साथ छेड़छाड़ करके किया गया था, जिनका कोषालय अभिलेख के साथ मिलान नहीं किया गया था। कार्यप्रणाली में कोषालय में कम राशि जमा करना और बाद में चालान को प्राप्त कर और चालान पर लिखित राशि से पहले कुछ अंकों एवं शब्दों को बढ़ाना शामिल था। इन बढ़ाए गये चालानों को बाद में आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और अनियमित उच्च लाभ प्राप्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, नमूना परीक्षण किए गए चालान की जाँच के दौरान, यह भी देखा गया कि 87 चालानों की विभागीय प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई, 67 चालानों की कोषालय प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई, एवं 28 प्रकरणों में चालानों की न तो विभागीय और न ही कोषालय प्रतिलिपि को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त चालानों की एक या दोनों विभागीय और कोषालय प्रतिलिपि की अनुपस्थिति के कारण, लेखापरीक्षा उनकी एक दूसरे के विरुद्ध तुलना नहीं कर सका जैसा कि उपरोक्त 47610 (47,792-182) चालान के साथ किया गया था। इसलिए, इन चालानों में शामिल कपटपूर्ण राशि, यदि कोई हो, का परीक्षण एवं निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अप्रैल 2015 से जून 2017 की अवधि के दौरान, विभागीय आंकड़ों और कोषालय के आंकड़ों की राजस्व प्राप्तियों में मासिक अंतर थे, जिन्हें न तो विभाग द्वारा मिलान किया गया था और न ही अंतर का कोई कारण दर्ज किया गया था। यदि अंतर के कारणों का विश्लेषण किया गया होता और समय पर कार्रवाई की गई होती, तो उपरोक्त कपट से बचा जा सकता था। आपत्ति अवधि के दौरान विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गयी थी।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (सितंबर 2019) कि विभाग द्वारा गठित एक जाँच समिति द्वारा एक अन्वेषण किया गया (अगस्त 2017) जिसने उक्त अनियमितताओं और राजकोष को हानि की पुष्टि की थी। उक्त जाँच रिपोर्ट पर, प्रथम दृष्टया, आठ दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच शुरू की गई थी, जो प्रगति पर है। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2019) कि इसमें सम्मिलित लाइसेंसधारियों से ₹ 21.89 करोड़ की वसूली की गई थी और शेष वसूली प्रगति पर थी। उपलब्ध न

²¹ अभिषेक शर्मा, असप्रीत सिंह लुबाना, अविनाश सिंह मंडलोई, बलराम माली, भारतीदेव बिल्ड, दीपक जायसवाल, जितेंद्र शिवराम, लव कुश पांडे, मिलियन ट्रेडर्स, प्रदीप जायसवाल, राहुल चौकसे, राकेश जायसवाल, विजय कुमार श्रीवास्तव, विरेन्द्र सिंह ठाकुर और योगेन्द्र जायसवाल।

कराये गए 182 चालानों के संबंध में, विभाग ने सूचित किया कि विभाग द्वारा चूककर्ता लाइसेंसधारियों के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरणों (अगस्त 2017) के कारण उपर्युक्त चालान पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए थे और न्यायिक कब्जे में थे। विभाग ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह उनकी छायाप्रतियाँ प्रदान करें और बताया कि जैसे ही वह प्राप्त होगी, उन्हें लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2015 से जून 2017 की अवधि के मध्य राजस्व प्राप्तियों के विभागीय आंकड़ों और कोषालय के आंकड़ों में मासिक अंतर के संबंध में, विभाग ने कहा कि जिले में तीन कोषालय – जिला कोषालय, नगर कोषालय और साइबर कोषालय थे, तथा लेखापरीक्षा द्वारा मात्र जिला कोषालय की प्राप्तियों को ही ध्यान में रखा गया।

विभाग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में, लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सुझाए अनुसार नगर कोषालय और साइबर कोषालय की प्राप्तियों को जोड़ा गया और पाया कि विभागीय आंकड़ों और कोषालय के आंकड़ों के बीच का मासिक अंतर कम हो गया, लेकिन विभिन्न महीनों में ₹ 100 से ₹ 23.58 करोड़ के मध्य फिर भी रहा, जैसा **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

प्रेषित कुल 87,000 चालान में से, लेखापरीक्षा ने केवल 47,792 चालान की नमूना जाँच की। इस प्रकरण में राजस्व की हानि की सही मात्रा निकाले जाने के लिए विभाग द्वारा अपने स्तर पर शेष चालान आंतरिक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं।

सहा.आब.आयु., इंदौर में पायी गयी उपर्युक्त अनियमितताओं के आलोक में, लेखापरीक्षा द्वारा आगे, यह विश्लेषण के लिए कि क्या विभाग के अन्य कार्यालयों में ऐसी और अन्य अनियमितताएँ विद्यमान हैं, सात कार्यालयों²² के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2019 से मई 2019 के मध्य) की गई। निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- पाँच सहा.आब.आयु.²³ द्वारा मासिक समाधान विवरण कोषालय को 1 से 569 दिनों की देरी के साथ भेजे गए थे। यह भी देखा गया कि सहा.आब.आयु. देवास, धार और उज्जैन द्वारा मासिक समाधान विवरण 2 से 621 दिनों के विलंब से आबकारी आयुक्त को भेजे गए थे। विलंब की श्रेणी को नीचे दी गई **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3
कोषालय और आबकारी आयुक्त को मासिक समाधान विवरण भेजने में विलंब की अवधि दर्शाने वाला विवरण

सहा.आब. आयु. का नाम	कोषालय को					आबकारी आयुक्त को				
	विलंब की अवधि की संख्या (श्रेणी दिनों में)					विलंब की अवधि की संख्या (श्रेणी दिनों में)				
	<30	≥30<90	≥90<180	≥180<365	≥365	<30	≥30<90	≥90<180	≥180<365	≥365
देवास (अप्रैल 2017 से दिसंबर 2017)	7	0	0	0	0	5	4	0	0	0
धार (अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक)	5	3	3	9	2	2	3	3	0	0
उज्जैन (अप्रैल 2017 से मार्च 2018)	7	3	1	0	0	0	2	0	1	9

²² देवास, धार, ग्वालियर, रायसेन, सागर, सिहोर एवं उज्जैन।

²³ देवास, धार, ग्वालियर, सागर एवं उज्जैन।

सागर (दिसंबर 2016 से मार्च 2018)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्वालियर (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0

सहा.आब.आयु. इंदौर के पूर्वोक्त दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में, जहां निगरानी की कमी एवं विभाग और कोषालय के मध्य मिलान की अनुपस्थिति की वजह से राज्य के राजकोष पर प्रत्यक्ष कपट हुआ, मिलान में यह निरंतर विलंब कभी-कभी तीन, छः या 12 महीने से भी अधिक समय तक है, यह गंभीर चिंता का कारण है।

- यद्यपि, मासिक समाधान विवरण सहा.आब.आयु. सागर द्वारा तैयार किए गए थे, परन्तु कुछ निश्चित स्तंभ जैसे कि वार्षिक माँग और विभागीय आंकड़ों और कोषालय के बीच मासिक अंतर को नहीं भरा गया था। सहा.आब.आयु. ग्वालियर के संबंध में, तौजी में वार्षिक माँग और विभागीय और कोषालय के आंकड़े के मासिक अंतर के स्तंभ नहीं पाया गया है। इस तरह के अंतर के कारणों को भी दर्ज नहीं किया गया था।
- सहा.आब.आयु. ग्वालियर कोषालय अभिलेख के अनुसार जमा किए गए 131 चालानों राशि ₹ 2.70 लाख तक की विभागीय प्रतियों को प्रस्तुत करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा इन लेनदेनों की वास्तविकता का पता लगाने में असमर्थ है। जैसा कि पूर्व में इंगित किया गया है, इंदौर में 1,061 चालानों पर धोखाधड़ी करके, लाइसेंसधारक केवल ₹ 1.20 करोड़ राजस्व के रूप में जमा करने के बाद ₹ 36.22 करोड़ के राजस्व से राज्य के राजकोष को वंचित कर सकते हैं। जहाँ 131 चालान लेखापरीक्षा को प्रस्तुत भी नहीं किए जा सकते हैं, यह न केवल बल्कि बेहद संदिग्ध है की उन चालानों के साथ क्या हुआ है, लेकिन सहा.आब.आयु. इंदौर के पैमाने पर धोखाधड़ी या गबन जैसी संभावनाओं से लेखापरीक्षा द्वारा इन्कार नहीं किया जा सकता है।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 और 2017-18 के मध्य, विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में 42 प्रतिशत से 86 प्रतिशत तक की कमी रही। विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.4

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इकाईयों की योजना और की गई लेखापरीक्षा

वर्ष	रोस्टर अनुसार इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	रोस्टर के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत
2013-14	35	05	30	85.71
2014-15	25	14	11	44.00
2015-16	37	15	22	59.46
2016-17	24	11	13	54.17
2017-18	43	25	18	41.86

आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं करने से विभाग आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने में विफल रहा। नमूना जाँच किए गए सात सहा.आब.आयु. में से दो सहा. आब.आयु. सागर और उज्जैन में, आंतरिक लेखापरीक्षा 2014 से नहीं की गयी थी, तथा एक सहा.आब.आयु. रायसेन में 2015 से आयोजित नहीं की गयी थी। इंदौर के प्रकरण

में, जहाँ आपत्ति अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, उपरोक्त इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करने के कारण संभाव्य कपट के लिए यह एक खतरे का संकेत हो सकता है।

विभाग ने सूचित किया कि—

- सहा.आब.आयु. देवास में, कार्यालयीन व्यस्तताओं के कारण मासिक समाधान विवरण कोषालय भेजने में तीन महीने की देरी हुई। यद्यपि, अन्य मामलों में देरी के संबंध में कोई कारण नहीं दिए गए थे। आबकारी आयुक्त को विवरण भेजने में देरी के लिए, कोई विशेष कारण नहीं दिया गया और यह कहा गया कि उन्हें कोषालय से प्राप्त होने के तुरंत बाद भेजा गया था।
- सहा.आब.आयु. धार में, कोषालय को विवरण भेजने में देरी के लिए शराब की दुकानों के निष्पादन और अन्य व्यस्तताओं को बताया गया, एवं फलस्वरूप उन्हें देरी के साथ आबकारी आयुक्त को भेजा गया था।
- सहा.आब.आयु., उज्जैन में, दिसंबर 2017 एवं मार्च 2018 के बीच कोषालय को भेजने में देरी वार्षिक नीलामी प्रक्रिया में व्यस्तता के कारण हुई थी। यद्यपि, शेष मामलों में देरी के लिए कोई कारण नहीं दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2017 से मार्च 2018 के सत्यापित विवरण एक बैच में कोषालय से मार्च 2018 में प्राप्त होना, आबकारी आयुक्त को भेजने में देरी का कारण बताया गया था।
- सहा.आब.आयु., सागर में, कोषालय को विवरण भेजने में देरी के लिये शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में व्यस्त होना बताया गया था।
- सहा.आब.आयु. ग्वालियर द्वारा 131 चालानों का प्रस्तुत न करने के संबंध में, सहा.आब.आयु ने कहा कि ये चालान उन लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किए गए थे जो ग्वालियर जिले से बाहर हैं एवं उनकी प्रतियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं। यद्यपि, जिले की कोषालय पत्रक में उनके प्रतिबिंबित होने के कारण उन्हें प्राप्तियों में लिया गया था। सहा.आब.आयु ग्वालियर का उत्तर, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राप्तियों को मूल चालान, प्राप्तियों के प्रकार के सत्यापन के बिना हिसाब में लिया गया था एवं बिना टिप्पणी के कि क्या वे तौजी में भी पाए गए थे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कोषालय अभिलेखों के साथ चालान के सत्यापन में कमियाँ हैं। कोषालय के अभिलेखों के साथ चालान का मिलान न किए जाने और आयुक्त और उपायुक्त, आबकारी द्वारा निगरानी की कमी के कारण, शासन को राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, संबंधित सहा.आब.आयु. के कोषालय अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी, जो कोषालय और विभाग के बीच प्राप्तियों के मिलान के संबंध में संहिता प्रावधानों का पालन करने से संबंधित थी। यदि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ सक्रिय रहता और आवधिक लेखापरीक्षा की गयी होती तो उपरोक्त अनियमितताओं को रोका जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण आबकारी आयुक्त और शासन को प्रतिवेदित (जनवरी 2019 और मार्च 2019 के बीच) किया। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2019)।

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के संबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

